संख्या 54 / 8–3–2008–32एल.यू.सी. / 96

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3   लखनऊः दिनांक 4 जनवरी, 2008

विषय : निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेण्टल कालेज की स्थापना हेतु मानक सिद्धान्त के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेण्टल कालेज आदि की स्थापना हेतु मानक निर्धारण से सम्बन्धित पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–511 / 9–आ–3–98–32एल.यू.सी. / 96 दिनांक 20 अप्रैल,1998 तथा उसके क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2944 / 9–आ–3–98–32एल.यू.सी. / 96, दिनांक 17 सितम्बर, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों के अधीन निर्धारित मानक के अनुसार इन्जीनियरिंग कालेज व मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम 25 एकड़ भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है, जबकि ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' (ए.आई.सी.टी.ई.) नई दिल्ली द्वारा नये तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता (छात्रावास की सुविधा सहित) के सम्बन्ध में मानकों का निम्नवत पुर्ननिर्धारण किया गया है :–

क्र.सं.	तकनीकी संस्थान की श्रेणी	भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल(एकड़ में)	
		मेट्रो नगर (10 लाख एवं अधिक जनसंख्या)	अन्य नगर
1	इन्जीनियरिंग / टेक्नोलॉजी	5.00	10.00
2	आर्किटेक्चर / प्लानिंग	1.50	2.50
3	एप्लाइड आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स	1.00	2.00
4	फार्मेसी	1.25	2.00
5	होटल मैनजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	1.50	2.50
6	पी.जी.डी.एम. / जी.जी.डी.बी.एम. / एम.बी.ए.	0.50	1.00
7	एम.सी.ए.	0.75	1.50

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तकनीकी संस्थानों की स्थापना से सम्बन्धित मानचित्रों की स्वीकृति

हेतु ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' (ए.आई.सी.टी.ई.) नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया (डी.सी.आई.) के मानकों के अनुसार डेन्टल कालेज हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 एकड़ होगा, जबकि मेडिकल कालेज के लिए शासनादेश संख्या–2944/9–आ–3–98–32 एल.यू.सी./96 दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर.के.सिंह
विशेष सचिव